न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 60/2013 ई0रे0

दिनांकः 30.01.2023

1– रतनलाल पिता नारायण जाट नि. निकुंभ तहसील बडीसादडी
2– मु. गोपीबाई बेवा नारायण जाट नि. निकुंभ तहसील बडीसादडी

– वादीगण

।।**बनाम** ।।

अमरलाल पिता लक्ष्मण जाट नि. निकुंभ तहसील बडीसादडी

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि

1– मौजा निकुंभ तहसील बडीसादडी की आराजीयात नं. 1340/1 रकबा 3 बिस्वा लगानी 46 पैसा एवं आराजी नं. 1340/3 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा लगानी 5.47 रूप्ये कुल किता 2 कुल रकबा 1 बिघा 18 बिस्वा कुल लगानी 5.73 रूप्ये स्थित है। उपरोक्त दोनों आराजीयात मिली हुई होकर एक ही चक है, जिसके पडोस इस प्रकार है। पूर्व में वादी की अन्य आराजी, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में नहर व वादी की जमीन, दक्षिण में नानी, हजारी जाट की जमीन है। यह कि उपरोक्त चारों पड़ोसी बीच की भूमि वादी क्रमांक 1 के पिता व वादी क्रमांक 2 के पति नारायण पिता दलीचंदजी जाट नि. निकुंभ के खातेदारी की थी और नारायण जी के देहान्त हो जाने पर वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है और वादीगण ही इसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

2– यह कि प्रतिवादीगण का उपरोक्त आराजीयात वादग्रस्त से कोई ताल्लुक सरोकार संबंध नहीं है, परन्तु वे बिना किसी अधिकार के वादीगण के कब्जे में आये दिन दखलदांजी कर जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास करते है और झगड़ा प्रसाद करने पर आमादा है। दिनांक 17.7.2006 को मौके पर प्रतिवादीगण ने आकर वादीगणों से झगड़ा किया और जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया । वादीगणों एवं गांव के मौतबिरान के समझाईश कराने पर भी प्रतिवादी नहीं मान रहे है। इसलिए मजबुरन वादी को यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करने की नौबत आई है। यह कि वाद कारण दिनांक 17.7.2006 को मौके पर वादीगण से प्रतिवादीगण ने झगड़ा किया और जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया।

3– यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावे कि वे वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजीयात व पडौसी बीच की वादग्रस्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे न करावे तथा वादीगण को बदस्तुर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे न करावे तथा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भी भू भाग में कोई गडडे आदि नहीं खोदे न खुदावे।

प्रतिवादी वकील ने जवाब दावा में बताया कि वाद पत्र में अंकित चरण सं. 1 में अंकित आराजी नम्बर 1340/1 रकबा 3 बिस्वा का विवरण जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है लेकिन आराजी नंबर 1340/3 रकबा एक बिघा 15 बिस्वा आराजी पूर्व में [illegible] पिता के खाते कब्जे की थी जिसमें निम्न पडौस के बीच की स्थित आराजी को छोड़ते [illegible] का विक्रय वादी रतन लाल के पिता नारायण जाट को किया गया था [illegible] विक्रयशुदा आराजी पर नारायण लाल जाट काबिज हुआ था तथा नारायणलाल की मृत्यु [illegible] हुए। निम्न पड़ौस [illegible] मध्य स्थित आराजी पर क्रेता नारायण लाल जाट का कभी कब्जा नहीं [illegible] और न ही वादीगण [illegible] बल्कि क्रेता नारायण लाल के द्वारा एक लिखापढी प्रतिवादी के पिता के पक्ष में निष्पादित करके सिपुर्द कर दी गई थी जिससे यह स्पष्ट है कि इन पड़ौसी के मध्य स्थित भूखण्ड पर प्रतिवादी निरन्तर कब्जा है पड़ौस इस प्रकार है पूर्व में मृतक नारायणलाल स्वयं की आराजी, पश्चिम आम रास्ता, उत्तर में मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 16:48:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

नारायणलाल स्वयं की आराजी, दक्षिण में भंवरलाल ब्राहमण का मकान । इस पड़ौसो के मध्य स्थित भूखण्ड की नपति पूर्व पश्चिम 60 फिट एवं उत्तर से दक्षिण 40 फिट है।

यह कि चरण संख्या 2 में अकित तथ्यो का जवाब इस प्रकार है कि उक्त पड़ौस के मध्य स्थित आराजी पर मृतक लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है इसलिए वादीगण का यह कथन कि वादीगण वाद पत्र चरण संख्या 1 मे वर्णित सम्पूर्ण आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है गलत अंकित किया गया है।

यह कि चरण सं. 3 में अंकित तथ्य प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है प्रतिवादी के द्वारा उक्त पड़ौस के मध्य स्थित भूखण्ड, जिस पर कि प्रतिवादी निरन्तर रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है के अलावा वादीगण की खाते की आराजी के किसी भी भू भाग पर कभी भी कोई दखलंदाजी नहीं की ओर न ही वादीगण को कभी जबरन बेदखल करने का प्रयास किया। दिनांक 17.7.06 को प्रतिवादी का वादीगण से न तो झगड़ा किया और न ही वादीगण से मिला। वादीगण ने एकदम बेबुनियाद एवं झूठा कथन किया है कि प्रतिवादी स्वीकार नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है।

वकील प्रतिवादी ने अपने विशेष कथन मे निवेदन किया कि आराजी खसरा नंम्बर 1340/3 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा में जवाब दावे की चरण संख्या 1 में वर्णित पडौसों के मध्य की स्थित भूमि काश्त के उपयोग में नहीं आती है तथा प्रतिवादी की रोडी डालने के उपयोग उपभोग में आ रही है। प्रतिवादी से पहले प्रतिवादी के पिता के द्वारा भी इस भूखण्ड को रोडी डालने के उपयोग उपभोग मे ही लेता आ रहा है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब दावे पश्चात निम्नांकित तनकीयात कायम की गई

1– क्या वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगणों की खातेदारी व कब्जे काश्त की है — वादीगण

2– क्या वादीगण प्रतिवादीगणों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है। — वादीगण

3– आया प्रतिवाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित पडौस के मध्य की भूमि का विक्रय व कब्जा वादीगण के पक्ष में नहीं हुआ था तथा इस पर प्रतिवादी काबिज है। — प्रतिवादी

4– सहायता एवं व्यय।

शहादत वादी में वादी रतनलाल का शपथ पत्र पी.डब्लू 1 प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी की साक्ष्यवादी में प्रतिवादी अमरलाल का शपथ पत्र डी.डब्लू 2 तथा सवलाल का शपथ पत्र डी.डब्लू 2 प्रस्तुत किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर चिन्तन व मनन किया। जिससे हम यह पाते है कि वादी द्वारा भूमि क्रय किया जाना जमाबंदी से स्पष्ट है प्रतिवादी द्वारा वादीगण की भूमि में कोई दखलदांजी करना या किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना वादीगण द्वारा वाद साबित में कोई पुख्ता दस्तावेज/सबूत पेश किया नहीं है। जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी ने वादीगण के कब्जे में दखलदांजी की है।

अतः वादी के पक्ष में पर्याप्त सबूत व तथ्य न होने की वजह से वाद वादी खारिज योग्य है। इसलिये वादी अपना वाद पत्र साबित करने में असफल रहा है। इसलिये वादी का वाद खारिज किया जाता है।

इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से बनाया जावे।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर आज दिनांक 30.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 16:48:16 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दु बाला राजावत) आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं.– 60/2013 ई0रे0 **दिनांकः 30.01.2023**

1– रतनलाल पिता नारायण जाट नि. निकुंभ तहसील बडीसादडी
2– मु. गोपीबाई बेवा नारायण जाट नि. निकुंभ तहसील बडीसादडी

– वादीगण

।।**बनाम** ।।

अमरलाल पिता लक्ष्मण जाट नि. निकुंभ तहसील बडीसादडी

– प्रतिवादी

वादपत्र धारा 188 आर.टी.एक्ट.

वादी की ओर से वकील अनुराग ओझा तथा प्रतिवादीगण की ओर से वी.एस.राठौड़ की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी अपना वाद पत्र साबित करने मे असफल रहा है। इसलिये खारिज किया जाता है।

इस वाद के खर्चे.....X.. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित....X.. को दी जावे।
यह आज दिनांक 30.01.2023 .को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(बिन्दुबाला राजावत)आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 15:48:16 IST
Reason: SelfAttested